

2026/33

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 133 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

वर्तमान खाने का नाम

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा इंच/घंटा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विंविं०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	242	490/2 495/1	3.2498 1.4162	रमजान पुत्र नुरमोहम्मद धारि - मुसलमान सा. शाबूरोड खारोदार रहन - रामस्थान मरुघाटा वामीठा वेंड शाखा - शाबूरोड	रमजान पुत्र नुरमोहम्मद धारि - मुसलमान सा. शाबूरोड खारोदार रहन - रामस्थान वामीठा वेंड शाखा - शाबूरोड	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संख्या 2075-78 जमा. 2076 में शाखा के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रद्वारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का व्यारिया
भू०अ०नि० द्वारापाल
की रिपोर्ट य साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का व्यारिया
भू०अ०नि० द्वारापाल
राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट य साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।

दिनांक 13/12/2022
ह० प्रद्वारी
ह० म०अ०नि०

दिनांक 19/12/2022
ह० म०अ०नि०

ह० राजस्व अधिकारी
ह० उपखण्ड अधिकारी
जिला-सिरोही उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड